

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

खेला देवी पुत्री मोहन, गांव मतरोग, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में खेला देवी पुत्री मोहन, गांव मतरोग, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-07-1959 को घर पर ही हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पियुहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पियुहरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धरवाला, जिला चम्बा (हिं0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कंचना देवी पुत्री तिलक राज, गांव रुखाडा, डाकघर पियुरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थिया कंचना देवी पुत्री तिलक राज, गांव रुखाडा, डाकघर पियुरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-02-1989 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि को ग्राम पंचायत

पियुरा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पियुरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कंचना देवी पुत्री तिलक राज, गांव रुखाड़ा, डाठो पियुरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–10–2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

---

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सुमी पुत्री बहादुर, गांव गुराड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थिया सुमी पुत्री बहादुर, गांव गुराड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01–01–1974 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी सुमी पुत्री बहादुर, गांव गुराड, डाठो राख में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–10–2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

रजनी देवी पुत्री चौड़ू गांव बाड़ा, डाकघर दाड़वी, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थिया रजनी देवी पुत्री चौड़ू गांव बाड़ा, डाकघर दाड़वी, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप—मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03—06—1979 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वी के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दाड़वी को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रजनी देवी पुत्री चौड़ू गांव बाड़ा, डाकघर दाड़वी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17—10—2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वी में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

केसरो देवी पुत्री झाँझन, गांव गियुंरा, डाकघर पियुरा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थिया केसरो देवी पुत्री झाँझन, गांव गियुंरा, डाकघर पियुरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 29-10-1951 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुरा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पियुरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त केसरो देवी पुत्री झाँझन, गांव गियुंरा, डाकघर पियुरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुरा में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत पियुरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

इछिया पुत्री ध्याना, गांव सुलाह, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थिया इछिया पुत्री ध्याना, गांव सुलाह, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1962 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी इछिया पुत्री ध्याना, गांव सुलाह, डाकघर राख में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

---

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

परस राम पुत्र टिन्कू गांव चडी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थी परस राम पुत्र टिन्कू गांव चडी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 08-08-1968 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत चडी को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी परस राम पुत्र टिन्कू गांव चडी, डाकघर मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी में दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

---

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

राजिंदर सिंह पुत्र देवी सिंह, गांव सक्रैना, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त प्रार्थी राजिंदर सिंह पुत्र देवी सिंह, गांव सक्रैना, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पिता नामक देवी सिंह पुत्र हुसनाक की मृत्यु दिनांक 10-02-2002 को घर पर ही हुई है परन्तु अज्ञानतावश मेरे पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। अतः मेरे पिता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी देवी सिंह पुत्र हुसनाक, गांव सक्रैना, डाकघर प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने हेतु किसी को आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि०प्र०)।